रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18052024-254226
CG-MH-E-18052024-254226

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946**
No.360]	**NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VAISAKHA 27, 1946**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 17 मई, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/181 - बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 12क के खंड (घ) एवं खंड (ङ) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में, विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ङ) में,-

I. शब्दों "से वह जानकारी अभिप्रेत है जिस तक जनता बिना किसी भेदभाव के पहुँच रख सकती हो" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "का अर्थ है – वह जानकारी, जो जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध हो, और जिसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई ऐसी किसी घटना आदि की जानकारी शामिल नहीं होगी जिसकी पुष्टि न की गई हो" आ जाएँगे;

II. उसके टिप्पण में,-

(1) शब्दों "अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी क्या" के बाद और शब्द तथा चिह्न "है ।" से पहले, शब्द "होती" जोड़ा जाएगा;

(2) शब्दों "किसी स्टॉक एक्सचेंज" के बाद दिए हुए शब्दों "के वेबसाइट" के स्थान पर शब्द "की वेबसाइट" आ जाएँगे ।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./129/2024-25]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/21/85, 15 जनवरी 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 तत्पश्चात्:

i. 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/59, द्वारा

ii. 21 जनवरी, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एलएडी-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/02, द्वारा

iii. 25 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/23, द्वारा

iv. 17 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/32, द्वारा

v. 17 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/23, द्वारा

vi. 29 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/38, द्वारा

vii. 26 अप्रैल, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/17, द्वारा

viii. 5 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/37, द्वारा

ix. 24 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/108, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th May, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/181 ─ In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of section 11 and clauses (d) and (e) of section 12A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, namely: —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (e), -

   I. after the words "non-discriminatory basis" and before the symbol ";", the words "and shall not include unverified event or information reported in print or electronic media" shall be inserted;

   II . in the NOTE thereto, -

      (1) after the words "appreciate what" and before the words "unpublished price", the word 'constitutes" shall be inserted;

      (2) the word "is" appearing after the words "unpublished price sensitive information" and before the symbol "." shall be omitted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./129/2024-25]

<u>Footnotes</u>:

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India on January 15, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/21/85.
2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, were subsequently amended on:

   i. December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/59.

   ii. January 21, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/02.

   iii. July 25, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/23.

   iv. September 17, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Third Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/32.

   v. July 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/23.

   vi. October 29, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/38.

   vii. April 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2021/17.

   viii. August 05, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2021/37.

   ix. November 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/108

5Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.05.18 13:43:28 +05'30'